संख्या-118/2016/1799/41-16-32 यो0/2014

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 08 नवम्बर, 2016

विषय- जनपद कन्नौज स्थित मेंहदी घाट के पर्यटन विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1017/6-1-1(541)/2015, दिनांक 17-10-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद कन्नौज में मेंहदी घाट के पर्यटन विकास हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 यूनिट-27, कन्नौज द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त रू0 1900.47 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 34/2015/3166/41-2015-32 यो0/2014 दिनांक 12.03.2015 द्वारा प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत योजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-111/2015/1627/41-15-32 यो0/2014 दिनांक 27.07.2015 द्वारा प्रदान की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत योजना हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 84/2016/1138/41-2016-32 यो0/2014 दिनांक 06.07.2016 द्वारा प्रदान की गयी है। प्रश्नगत योजना हेतु अब तक कुल धनराशि रू0 1200.00 लाख (रूपये बारह करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद कन्नौज में मेंहदी घाट के पर्यटन विकास हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिन मदों से व्यय की जायेगी उसका विस्तृत विवरण, धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व शासन को उपलब्ध कराते हुए उसकी औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का सुसंगत व्यय-विवरण की सूचना व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-07-जनपद कन्नौज में काली नदी एवं गंगा नदी के संगम स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-118/2016/1799(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, कानपुर ।
4- जिलाधिकारी, कन्नौज।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- महाप्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, आगरा।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, कानपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in